संचालनालय तकनी...
नवा रायपुर, अटल नग...
22 SEP 2022

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा
एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर

## / / अधिसूचना / /

नवा रायपुर, अटन नगर, दिनांक 21 /09/2022

कमांक एफ 9–8/2022/तक.शि/42 इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना, दिनांक 13.04.2022 इतने द्वारा छत्तीसगढ तकनीकी संस्थानो हेतु प्रवेश नियम, 2022 अधिसूचित किए गए हैं। उक्त नियमों में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :-

1. नियम 4 (अ) प्रवेश हेतु सीटो के कोटा का निर्धारण शीर्षक में उप नियम (1) से (4) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

(1) छत्तीसगढ़ राज्य कोटा (CGQ1) :- इस कोटा के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी उपलब्ध न होने पर इसे आवश्यकतानुसार अन्य राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है, परंत शासकीय संस्थानों एवं शासकीय विश्वविद्यालय संस्थानों में केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी., पी.पी.एच.टी., नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर–2, प्री–एम.सी.ए. की मेरिट के आधार पर होंगे।

(2) अन्य राज्य कोटा (OSQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत केवल अन्य राज्य के अभ्यर्थी ही प्रवेश के पात्र होंगे। अन्य राज्य के अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध होने पर इसे आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तन किया जा सकता है। इस कोटे पर प्रवेश जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा/ जे.ई.ई. (मेन) पेपर–2, निमसेट की मेरिट के आधार पर होंगे।

(3) मैनेजमेंट कोटा (MQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही साथ अन्य राज्य के अभ्यर्थी भी प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा/ जे.ई.ई. (मेन) पेपर–2, प्री–एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

(4) अल्पसंख्यक कोटा (MINQ1) :- इस कोटे के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थी ही प्रवेश हेतु पात्र होंगे। इस कोटे पर प्रवेश पी.ई.टी./जे.ई.ई.(मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा/ जे.ई.ई. (मेन) पेपर–2, प्री–एम.सी.ए./निमसेट के मेरिट के आधार पर होंगे। इस कोटे में प्रवेश के लिए भी संपूर्ण नियम लागू रहेंगे।

क्रमशः.....

2. नियम 4 (ब) आवंटन क्रम शीर्षक में उप नियम (1) एवं (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

(1) इंजीनियरिंग, फार्मेसी, बी. आर्क एवं एम.सी.ए. संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों की प्रथम वर्ष की सीटों को सबसे पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अन्य राज्य कोटा के अंतर्गत जे.ई.ई. (मेन), पी.पी.एच.टी., नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2, निमसेट के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जाएगा। सीट रिक्त रहने पर रिक्त सीटों को छत्तीसगढ़ राज्य कोटा में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(2) इसके पश्चात छत्तीसगढ़ राज्य कोटा की सीटों तथा उपरोक्तानुसार बिंदु (01) की शेष रह गई सीटों को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से पी.ई.टी, पी.पी.एच.टी., नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2, प्री-एम.सी.ए. परीक्षाओं की मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु आवंटन किया जाएगा।

3. नियम 6.1 शैक्षणिक अर्हता शीर्षक में (अ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि एवं उनमें प्रवेश की पात्रता के लिए शैक्षणिक अर्हता की तालिका में उल्लेखित पाठ्यक्रम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क.) की वर्तमान शैक्षिणिक अर्हता के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

अनिवार्य विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय के साथ (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं की परीक्षा माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

अथवा

10 वीं के पश्चात गणित विषय सहित तीन वर्ष का डिप्लोमा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

एवं

पृथक से आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूट टेस्ट (जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2 में नाटा क्वालीफाइड के समतुल्य अंक/नाटा) क्वालीफाइड होना अनिवार्य है ।

4. नियम 6.1 शैक्षणिक अर्हता शीर्षक में (अ) विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि एवं उनमें प्रवेश की पात्रता के लिए शैक्षणिक अर्हता की तालिका में उल्लेखित पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर (डी.आर्क.) हेतु वर्तमान शैक्षिणिक अर्हता के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए: -

माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छत्तीसगढ़ के (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित अन्य समकक्ष परीक्षा (हाई स्कूल परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ) सामान्य वर्ग के लिये कम से कम 35 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तता से बाधित के लिये केवल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

10 वीं कक्षा की परीक्षा में गणित एवं विज्ञान दोनों विषयों में पृथक-पृथक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ।

क्रमशः....

5. नियम 7.1 सामान्य प्रवेश परीक्षा/शीर्षक की तालिका में बैचलर आफ आर्किटेक्चिर (बी.आर्क.) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियो के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| बैचलर आफ आर्किटेक्चर (बी.आर्क) | आर्किटेक्चर में एप्टीट्यूड टेस्ट नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2 | क्वालीफाईड इन नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2 में नाटा क्वालीफाइड के समतुल्य अंतिम एन.टी.ए. स्कोर | क्वालीफाईड इन नाटा/जे.ई.ई. (मेन) पेपर-2 में नाटा क्वालीफाईड के समतुल्य अंतिम एन.टी.ए. स्कोर |

6. नियम 7.1 सामान्य प्रवेश परीक्षा/शीर्षक की तालिका में डिप्लोमा इन आर्किटेक्चिर (डी.आर्क.) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियो ं के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| डिप्लोमा इन आकिटेक्चर | 10वीं | 35 | उत्तीर्ण प्राप्तांक |

7. नियम 7.2 प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण शीर्षक की तालिका में डिप्लोमा इन आर्किटेक्चिर (डी.आर्क.) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियो ं के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :-

| | | |
|---|---|---|
| डिप्लोमा इन आकिटेक्चर | 10वीं | अभ्यर्थियों के 10वीं कक्षा या अन्य समकक्ष परीक्षा के कुल प्राप्तांको के प्रतिशत के आधार पर प्रवर्गवार मेरिट सूची बनायी जायेगी।<br>समान कुलांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट विषयों की महत्ता के निम्नलिखित क्रम में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाकर निश्चित की जाएगी -(1) गणित (2) अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्र भी समान होने की स्थिति में दसवीं में अधिक अंक (कुल पूर्णांक में से) प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(जी. एल. सांकला)
संयुक्त सचिव